



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-128

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267893 दिनांक 20/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sonal Jain D/o SURESH KUMAR JAIN एवं Suresh Kumar Jain S/o MULCHAND A JAIN	श्री गौतम जोशी पुत्र श्री दिनेश कुमार जोशी	234	144.44 SQ. YARD	Private	VINAYAK RESIDENCY Sector/Block- B	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना विनायक रेजीडेन्सी ब्लॉक बी के भूखण्ड संख्या बी-234 क्षेत्रफल 144.44 व.ग. का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 10.09.2022 को श्री गौतम जोशी पुत्र श्री दिनेश कुमार जोशी के पक्ष में जारी किया गया है तत्पश्चात श्री गौतम जोशी द्वारा अनु द्रविवेदी पुत्री शशि किशोर द्रविवेदी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2025 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात अनु द्रविवेदी पुत्री शशि किशोर द्रविवेदी द्वारा श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मूल चन्द जैन एवं सोनल जैन पुत्री श्री सुरेश कुमार जैन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2025 के द्वारा बेचान किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sonal Jain D/o SURESH KUMAR JAIN एवं Suresh Kumar Jain S/o MULCHANDA JAIN को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।